अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 890(अ).— केन्द्रीय सरकार, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (घ), (ङ) और (च) के साथ पठित धारा 5 उपधारा (2), (3) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमन) प्रत्यायन अभिकरण नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है ;

(ख) "आवेदक" से नियम 4 के अधीन किसी प्रत्यायन अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकरण चाहने के लिए प्राधिकरण को आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ग) 'प्रमाणपत्र' से नियम 6 के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(घ) 'प्ररूप' से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(2) शब्द और पद जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं उनको वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

3. किसी प्रत्यायन अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अर्हताएं और अन्य अपेक्षाएं - किसी प्रत्यायन अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति निम्नलिखित अर्हताएं और अन्य अपेक्षाएं पूरी करेगा, अर्थात् :-

(i) ऐसा व्यक्ति --

(क) या तो पब्लिक या प्राइवेट कोई निगमित निकाय होगा और कंपनी अधिनियम, 1956 या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निगमित होगा ;

(ख) सरकारी निकाय या सरकारी संबद्ध निकाय होगा ;

(ii) ऐसा व्यक्ति आवश्यक अवसंरचनाएं रखता हो जिसके अंतर्गत पर्याप्त कार्यालय स्थान, उपस्कर प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारीवृंद भांडागारण के क्षेत्र में विशेषज्ञता, वित्तीय सक्षमता और प्राधिकरण की समाधानप्रद रूप में विश्वसनीयता रखता हो ; और

(iii) ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से भांडागारण कारबार में न लगा हो ।

4. किसी प्रत्यायन अभिकरण के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन -

(1) कोई व्यक्ति नियम 3 के अधीन विनिर्दिट अर्हताएं और अन्य अपेक्षाएं रखता हो और किसी प्रत्यायन अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने की इच्छा रखता हो, प्राधिकरण को रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप-क में, आवेदन दो प्रतियों में कर सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित होंगे -

(क) पहचान का सबूत जैसे किसी विधिक अस्तित्व जिसके अंतर्गत निगमन का प्रमाणपत्र, संगम ज्ञापन और संगम - अनुच्छेद भी हैं ;

(ख) स्वामियों, शेयरधारकों, स्वत्वधारी और आवेदक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नामों की सूची ;

(ग) आवेदक द्वारा लगाए गए प्रमुख प्रबंध कार्मिकों और तकनीकी विशेज्ञों की सूची और उनकी अर्हताएं तथा भांडागारण से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव ;

(घ) संपरीक्षित रिपोर्ट के प्ररूप में वित्तीय विश्वसनीयता की विवरणी या समर्थित दस्तावेजों के साथ बजट विवरण ;

(ङ) घोषणा कि आवेदक किसी भांडागारण में प्रत्यायित नहीं है जिसमें उसके हितों का सीधा विरोध है ;

(च) घोषणा कि आवेदक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा ; और

(छ) पच्चीस हजार रुपये के अप्रतिदेय रजिस्ट्रीकरण फीस जो आहरण और संवितरण अधिकारी, भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण नई दिल्ली के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में मांगदेय ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से संदेय होगी ; और

(ज) आहरण और संवितरण अधिकारी, भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में मांगदेय ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से एक लाख रुपये की प्रतिभूति निक्षेप करेगा :

परंतु सरकार नियंत्रित संस्था या निकाय प्रतिभूति सुरक्षा निक्षेप के संदाय से छूट प्राप्त होगा ।

5. **रजिस्ट्रीकरण के समय जांच करने और जानकारी मांगने की शक्ति** -- (1) प्राधिकरण नियम 6 के अधीन किसी प्रत्यायन अभिकरण को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पहले ऐसी जांच कर सकेगा और आवेदन में प्रत्यायन अभिकरण द्वारा दी गई सूचनाओं से भिन्न ऐसी और जानकारी की अपेक्षा कर सकेगा जिसे वह उचित समझे ।

(2) प्राधिकरण किसी भी समय ऐसी जानकारी मांग सकेगा और आवेदक उसके द्वारा नियत समय के भीतर प्राधिकरण को ऐसी जानकारी देगा ।

6. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र --प्राधिकरण समाधान हो जाने के पश्चात् कि आवेदक अर्हताएं और अन्य अपेक्षाएं पूरी करता है आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन जिन्हें वह उचित समझे, प्ररूप ख में प्रदान करेगा ।

7. रजिस्ट्रीकरण नामंजूर करना -- प्राधिकरण किसी आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को प्रदान करने से कारणों को लेखबद्ध करते हुए, नामंजूर कर सकेगा और इस प्रकार पारित आदेश की एक प्रति उसे देगा :